न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 90 / 2021

उनवान

प्रवीन उपाध्याय पिता राजेन्द्र उपाध्याय जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासीवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) कुरीया पिता रूपा जाति आदीवासी निवासी मडकोला खेडा तहसील गढी जिला तहसील बासवाडा।

(2) रतनलाल पिता रूपा जाति आदीवासी निवासी मडकोला खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) श्रीमती काली पत्नि रूपा जाति आदीवासी निवासी मडकोला खेडा गढी जिला सिवाडा।

(4) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 16.3.2021

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी नम्बर 1130/10 रकबा 0.20 एयर भुमि वाके ग्राम मडकोला खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है तथा प्रार्थी का विगत करीब 25 वर्षो से कब्जा होकर प्रार्थी इसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात की भुमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा एवं न ही वे सद्भाविक काश्तकार है। गांव मडकोला खेडा की उपरोक्त वर्णित भुमि पर आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा नही है लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत तरीके से उपरोक्त वर्णित भुमि रूपा पिता लखमा के नाम आवंटन करवा ली है। उक्त आवंटन नियमानुसार नही है, मौका नही देखा गया है। उद्घोषणा नही हुई है। अप्रार्थीगण का वर्षो का कब्जा नही है एवं सद्भाविक काश्तकार नही है। मौके पर आज भी कब्जा नही है न ही काश्त है । ऐसी अवस्था में फर्जी तरीके से किया गया उपरोक्त आवंटन शुन्य होकर काबिल खारजी है। अप्रार्थीगण 01 से 03 ने उक्त भुमि का फर्जी तरीके से तत्कालिन पटवारी कर्मचारियो से मिलकर विधिक अर्हताए पुरी किये बिना उपरोक्त वर्णित आराजी की भुमि रूपा पिता लखमा के नाम आवंटन करवा लीया है, जो गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नम्बर 1130/10 पर प्रार्थी का 25 वर्षो से कब्जा होकर इसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण का कभी भी मौके पर कब्जा नही रहा है। उक्त आराजीयात की भुमि पर अप्रार्थीगण 01 से 03 का कभी कब्जा काश्त नही रहा, न ही उपरोक्त भुमि आस पास अप्रार्थीगण की कोई भुमि या काश्त है। वर्णित भुमि पर अप्रार्थीगण कभी आये ही नही है मात्र तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर पेपर आवंटन करवा लिया है। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही है लेकिन अप्रार्थीगण 01 से 03 ने फर्जी तरीके से आवंटन करवा लिया है। अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 03 सद्भावी कृषक नही है न कभी भी उन्होने काश्त की है इसलिए भी आवंटन काबिल निरस्ती है। अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 03 ने आवंटन के बाद [illegible] किया है न ही काश्त की है। उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है। जिस कारण [illegible] खारजी है। अप्रार्थी नम्बर 04 को कोई अधिकार नही है कि वह प्रा[illegible] कारण या सुचना या अधिकार के अन्य व्यक्ति के नाम आ[illegible] दस्तावेज पेश किया [illegible] कारण माही एलोटमेन्ट संख्या 15(5)(4) मे "If it is descovere[illegible] any time that any [illegible]ation submitted by any applicant is false to cultivate the land personally the entire land allotted may be resumed by the alloting authority with out payment of comensation-" जो कि अप्रार्थी के नाम आवंटन हुआ है काबील निरस्ती के है एवं इसी धारा मे यह भी वर्णित है कि कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मजल सूचना दी गई हो तो आवंटन खारिज किया जा सकता है। जिस कारण भी अप्रार्थीगण का आवंटन काबिल निरस्ती है। धारा 13(B) मे यह वर्णित किया गया है कि "An allottee shall be bound to cultivate whole of the allotted land in two years- On his failure to fulfil this condition the allottment of land shall be liable to cancellation by the allottiong authority. श्वेत्नु रेकार्ड में यह भूमि का.का. अंकित है एवं बीड की भुमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवंटन वर्जित होने पर भी सही मायने में आवंटन अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। जिस कारण भी अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक के बाद न तो आवंटित खसरा नम्बर का कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है व उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है, जिस कारण अप्रार्थी के नाम से किया गया उक्त आवंटन काबिल निरस्ती बाबत् धारा 17 उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह राव, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पटवार हल्का खेड़ा के मौजा मड़कोला की सर्वे नम्बर 1130/10 रकबा 0.20 हे0 भूमि का अपने नाम किये गये आवंटन को निरस्त कराने बाबत् निवेदन किया।

अतः पटवार हल्का खेड़ा के मौजा मड़कोला के सर्वे नम्बर 1130/10 रकबा 0.20 हे0 भूमि के किये गये भूमि आवंटन को खारिज किया जाकर सिवायक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner